

45
2014

श्री. जिला कलक्टर (प्रशासन),
श्रीगंगानगर

AC
T

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0



निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 44/14

विचित्रसिंह पुत्र श्री गॉधीसिंह जाति जटसिख निवासी 78 एलएनपी तह0 पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत रतनपुरा तह0पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश कमांक 78 दिनांक 05-08-2014

उपरिथत : 1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री इन्द्रजीत विश्वाँई, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश

दिनांक: 08-04-17

हस्तगत निगरानी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानी आदेश में भूखण्ड सं0 41 साईज 100 गुणा 50 फुट चन्द्रसिंह पुत्र ईसरसिंह से जरिये बैयनामा दिनांक 12.12.1984 को खरीद किया गया था, जिसका ग्राम पंचायत के इन्तकाल रजिस्टर में दिनांक 25-5-1988 को मालिकाना हक घोषित किया गया था, जिसे आदिनांक तक कभी भी ना तो आवंटित भूखण्ड का मूल आवंटन निरस्त किया गया है और न ही किये गये इंतकाल दिनांक 25-5-1988 को निरस्त किया गया है। निगरानीकृत आदेश विना क्षेत्राधिकार के, कानून के आज्ञाफ प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश के द्वारा भूखण्ड के, फिरनी के, गवाड़ के, गलियों में, चबुतरों में, शौचालय के किस भाग पर कितना अतिक्रमण किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानीकृत आदेश एक सार्वजनिक नोटिस अंतिम ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 5-8-14 के आधार पर जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत् रूप से प्रक्रिया संहिता के आदेशों की पालना में कोई नोटिस व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत को निगरानीकर्ता के विधिवत् भूखण्ड को किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। ग्राम पंचायत, केवल आवादी भूमि या उसके किसी भाग पर जो कि ग्राम पंचायत की सम्पति हो, पर ही अतिक्रमण होने की स्थिति में आदेश पारित करने के लिए सक्षम हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।
निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

लो
श्री. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि निगरानी आदेश में भूखण्ड सं० 41 साईज 100 गुणा 50 फुट चन्द्रसिंह पुत्र ईसरसिंह से जरिये बैयनामा दिनांक 12.12.1984 को खरीद किया गया था, जिसका ग्राम पंचायत के इन्तकाल रजिस्टर में दिनांक 25-5-1988 को मालिकाना हक घोषित किया गया था, जिसे आदिनांक तक कभी भी ना तो आवंटित भूखण्ड का मूल आवंटन निरस्त किया गया है और न ही किये गये इंतकाल दिनांक 25-5-1988 को निरस्त किया गया है। निगरानीकृत आदेश बिना क्षेत्राधिकार के, कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश के द्वारा भूखण्ड के, फिरनी के, गवाड़ के, गलियों में, चबूतरों में, शौचालय के किस भाग पर कितना अतिक्रमण किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानीकृत आदेश एक सार्वजनिक नोटिस अंतिम ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं० 6 दिनांक 5-8-14 के आधार पर जारी किया गया है, निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत् रूप से प्रकिया संहिता के आदेशों की पालना में कोई नोटिस व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत को निगरानीकर्ता के विधिवत् भूखण्ड को किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। ग्राम पंचायत, केवल आबादी भूमि या उसके किसी भाग पर जो कि ग्राम पंचायत की सम्पत्ति हो, पर ही अतिक्रमण होने की स्थिति में आदेश पारित करने के लिए सक्षम हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अप्राथी के अधिवक्ता ने कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा भूखण्ड के अतिरिक्त अतिक्रमण किया गया है, जिसे मुक्त कराया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को विधिवत् रूप से नोटिस जारी किया गया है। निगरानीकृत नोटिस विधिसम्मत है। निगरानी सारहीन पेश की गई है। अतः निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश दिये जाने चाहिये।

जवाब में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 165 की पालना नहीं की गई है। नियम 165 की पालना कराये जाने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 165 के अनुसार : -

"165. Survey of trespassers on Panchayat lands and removal of encroachments :-

(1) Panchayat shall form a committee consisting of three Panchas assisted by Secretary to conduct survey trespassers in Abadi land, tank bed and grazing grounds in the months of January and July every year to detect cases of trespass on common lands.

(2) All such trespasses along with details of area and nature of trespass shall be entered in a register by the Secretary

बसु
जिला कलेक्टर (अग्रसर)
श्रीगंगानगर

(3) Panchayat shall issue notices to such trespassers in Abadi area for eviction of land trespassed . whenever it is brought to the notice of Panchayat on its member or secretary that trespass in being committed. Sarpanch may issue an injunction order prohibiting trespasser to commit trespass or carry out consturction failing which encroachment or construction will be removed at his risk and cost a date of hearing will be fixed when Panchayat may pass suitable order after giving the trespasser a reasonable opportunity of being heard "



ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय को रिपोर्ट क्रमांक 145 दिनांक 15-9-14 उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्ट के अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा निम्न अतिक्रमण किया जाना वर्णित किया गया है:-

शौचालय व चारदिवारी 3 गुणा 4, सिक्क्यूअर फीट, 2 गुणा 100 फीट, अहाता सं0 41.

निगरानीकृत अंतिम नोटिस दिनांक 5-8-14 में ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण की जगह को दिनांक 11-8-14 तक हटाये जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन निगरानीकृत नोटिस में निगरानीकर्ता द्वारा किस भाग पर कितना अतिक्रमण किया गया है, इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

आबादी भूमि में अतिक्रमण हटाये जाने के लिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 165 की पालना कराया जाना आज्ञाप्क प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं किये जाने के कारण निगरानीकृत नोटिस जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण ग्राम पंचायत को नियम 165 की पालना की जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत नोटिस दिनांक 5-8-14 निरस्त किया जाता है। प्रकरण ग्राम पंचायत, रतनपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 165 की पालना में निगरानीकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, आबादी भूमि पर हुए अतिक्रमण को नियम 165 की पालना कर, अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जावे। निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 28-4-17 को उपस्थित हो। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 8-4-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lano
8/4/17
(करतारसिंह पूनियाँ)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
जयन्पुर (उ.प्र.)
श्री गंगानगर